3/यो0-29/2017(खंड)-

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या :-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2018-19) 14

प्रेषक,

विजय रंजन
संयुक्त निदेशक (मु0)
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 8.3.19

विषय :- **समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के किशोर न्याय परिषद में विडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम तथा सभी 86 बाल देख संस्थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना अन्तर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना के तहत राज्य के सभी जिलों के किशोर न्याय परिषद में विडियो कॉन्फ्रेसिंन सिस्टम तथा सभी 86 बाल देखरेख संस्थानों में सी0सी0टी0वी0 ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना है।

2. उक्त के आलोक में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य के 38 जिलों के किशोर न्याय परिषद में विडियों कॉन्फ्रेन्सिग सिस्टम लगाने हेतु प्रति इकाई 5,00,000/- (पांच लाख) रूपये की दर से कुल 1,90,00,000/- (एक करोड नब्बे लाख) रू0 तथा सभी 86 बाल देख-रेख संस्थानों में सी0सी0टी0वी0 ऑनलाईन मॉन्टिरिंग सिस्टम लगाने हेतु प्रति इकाई 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रू0 की दर से कुल 1,29,00,000/- (एक करोड़ उनतीस लाख) रू0 अर्थात कुल 3,19,00,000/- (तीन करोड़ उन्नीस लाख) रू0 के व्यय की स्वीकृति दी गई है।

3. योजना संबंधित राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- उपमुख्य शीर्ष- 02- समाज कल्याण- 102- बाल कल्याण - 0323- एकीकृत बाल संरक्षण योजना, विपत्र कोड-51-2235021 20323 के अंतर्गत उपलब्ध योजना उद्व्यय/बजट उपबंध से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, समाज कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्व समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यकम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.2018, पत्रांक 3758/वि दिनांक 31.05.2017, पत्रांक 378/वि दिनांक 16.01.2018, पत्रांक 354/वि 28.03.2018, पत्रांक 662वि दिनांक 02.08.2018 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 3/यो0-29/2017(खंड) के पत्राचार पृ0सं0- 24/प0 पर दिनांक 08.03.2019 को आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ प्राप्त है कि 'राशि की निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए आवंटन प्राप्त है'।

8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

8/3/19

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक :- 3/यो0-29/2017(खंड)- 14 पटना,दिनांक :- 8.3.19

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग) बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,बिहार, पटना, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण इकाई, पटना एवं कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/19

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक :- 3/यो0-29/2017(खंड)- 14 पटना, दिनांकः- 8.3.19

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/19

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक(मु0)।